विवरण

चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या और उनमें से रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या

(हजार में)

वर्ष	चालू रजिस्टर*	नियुक्तियां**		
		पुरुष	महिला	योग
1990	33353.4	213.9	50.6	264.5
1991	34916.8	202.1	50.9	253.0
1992	36674.0	194.5	44.2	238.7
1993	36033.6	189.0	42.4	231.4
1994	35924.9	50.8	13.3	64.1

टिप्पणी— 1. यह अनिवार्य नहीं कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले सभी व्यक्ति बेरोजगार हों।

2. *चालू रजिस्टर आंकड़े 1990, 1991, 1992, तथा 1993 के दौरान प्रत्येक वर्ष 30 मई, के अनुसार तथा वर्ष 1994 के दौरान 30 अप्रैल के अनुसार स्थिति को दर्शाते हैं।

3. **1990, 1991, 1992 तथा 1993 के लिए नियुक्ति आंकड़े जनवरी—दिसम्बर की अवधि से तथा 1994 के आंकड़े जनवरी—अप्रैल से संबंधित हैं

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या

43. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) 1 जून, 1991, 1 जून, 1992 और 1 जून, 1993 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी सेवा में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की जनगणना के अनुसार 21 मार्च, 1990 (नवीनतम उपलब्ध) को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 41.15 लाख थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में किसी महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना नहीं है।

Recommendations of the Gurudas Das Gupta Committee report

44. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have considered all the major recommendations of the Gurudas Das Gupta

Committee Report on Employees' State Insurance Corporation (ESIC) and Employees' Provident Fund (EPF) arrears;

(b) if so, which are the recommendations accepted by Government so far; and

(c) by when the remaining recommendations of the Committee are likely to be accepted by Government?

THE MINISSTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

अहमदाबाद की रामकृष्ण मिल को कामगारों की सहकारी समिति के सुपुर्द किए जाने संबंधी फैसला

45. **श्री चिमनभाई मेहता :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद की रामकृष्ण मिल को कामगारों की सहकारी समिति के सुपुर्द कर देने का निर्णय सुनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दिया जाना।

46. **श्री अजीत जोगी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मनी द्वारा सहायता प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बाल श्रमिक प्रथा के उन्मूलन हेतु बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, हां, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित "अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संबंधी उन्मूलन कार्यक्रम", जो कि अधिकांशतः जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त है, के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के कल्याण एवं बाल श्रम उन्मूलन के लिए परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।